सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं0: 2446 / 1014 / 2014 दिनांक: 29.06.2017

श्री संतोष गोप R1943 वादी 01
ग्राम – तेलीडीह साईट (बाधगौड़ा साईट)
पोस्ट–नारायणपुर, थाना – चास
जिला – बोकारो (झारखण्ड)

मो. ताबीर अहमद
द्वारा श्री संतोष गोप R1944 वादी 02
ग्राम – तेलीडीह साईट (बाधगौड़ा साईट)
पोस्ट–नारायणपुर, थाना – चास
जिला – बोकारो (झारखण्ड)

श्री राजन डोम
द्वारा श्री संतोष गोप R1945 वादी 03
ग्राम – तेलीडीह साईट (बाधगौड़ा साईट)
पोस्ट–नारायणपुर, थाना – चास
जिला – बोकारो (झारखण्ड)

बनाम

बोकारो इस्पात संयंत्र R1946
(द्वारा) मुख्य कार्यकारी अधिकारी
बोकारो इस्पात सिटी, झारखण्ड – 827001 प्रतिवादी

सुनवाई की तिथियाँ : 08.05.2017 एवं 19.06.2017

उपस्थित :

प्रार्थी – श्री संतोष गोप
प्रतिवादी – श्री रविन्द्र पड़िता, सहायक प्रबंधक

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता श्री संतोष गोप, श्री अहमद एवं श्री राजन डोम ने बोकारो इस्पात संयंत्र में विकलांगों की भर्ती से संबंधित शिकायत – पत्र दिनांक 17.07.2014 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत कि।

2. मामला अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत प्रतिवादी से दिनांक 13.02.2015 को उठाया गया। प्रतिवादी ने स्मरण पत्र दिनांक 04.01.2016 के बावजूद भी जवाब नहीं दिया इसलिए दिनांक 08.05.2017 को सुनवाई रखी गई ।

3. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी एवं वादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इसलिए पुनः दिनांक 19.06.2017 को सुनवाई रखी गई । प्रतिवादी की ओर उपस्थित प्रतिनिधि ने अपने लिखित कथनों दिनांक 06.05.2017 को दोहराया और बताया कि श्री संतोष गोप, श्री अहमद एवं श्री राजन डोम ने बोकरो इस्पात संयंत्र द्वारा अटेन्डेन्ट–सह–तकनिशियन पद पर नियुक्ति हेतु ऑन लाइन आवेदन दिया था तथा लिखित परीक्षा में श्री सतोष गोप ने कुल चार अंक हासिल किए जबकि साक्षात्कार के लिए चयन हेतु विकलांगजनों को कॅट–आफ मार्कस 12.5 था। अतः श्री गोप का चयन साक्षात्कार हेतु नहीं हो सका। प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि श्री राजन होम एवं मो0 ताबीर अहमद अंतिम रूप से सफल पाये जाने पर दिनांक 12.08.2016 को बोकारो इस्पात संयंत्र में अपना योगदान दिए। उन्होंने यह भी बताया कि श्री सतोष गोप द्वारा उक्त मामला माननीय केंद्रीय न्यायाधिकरण अदालत, रांची में भी दायर है जिसकी पुष्टि शिकायतकर्ता ने भी की।

4. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् यह पाया गया कि उक्त मुद्दा माननीय केन्द्रीय न्यायाधिकरण अदालत, रांची के समक्ष विचाराधीन है, विज्ञापन के जाँच करने के उपरान्त यह न्यायालय प्रतिवादी को निम्नलिखित निर्देशों के साथ मामले का निपटारा किया जाता है:--

- प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार कितनी रिक्तियों में से कितनी रिक्तियां विकलांगों के लिए आरक्षित थी। विकलांगों के लिए आरक्षित रिक्तियों में से कितने नियुक्ति हुए का ब्यौरा भेजे।
- कार्मिक औरं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 36035/3/2004–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के पैरा 15 के अनुसार रोस्टरों का रखरखाव करें।
- रोस्टर के हिसाब से रिक्तियों की गणना करें; और बैकलॉग रिक्तयों को विशेष भर्ती अभियान के तहत भरें।
- भविष्य में कार्मिक, लोक–शिकायत तथा पेंशन–मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या –– 36035/3/2004–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के पैरा 25 के अनुसार विज्ञापन दें।

(डॉ कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त